

अधिसूचना

दिनांक-.....

10457
9/11/17

राज्य अन्तर्गत सभी प्रखण्डों एवं ग्रामों में संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारा भुगतान किये जाने के संबंध में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को नोडल विभाग घोषित किया जाता है।

आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाना है :-

1. प्रखण्ड/ग्राम स्तर पर संचालित सभी योजनाओं में आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किये जाने की स्थिति - जिसके अन्तर्गत मनरेगा, पहल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, कैदियों से संबंधित कार्य, भू-अभिलेख संबंधी कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, शिक्षक एवं सफाई कर्मचारी से संबंधित प्रतिवेदन।
2. जिला/प्रखण्ड/ग्रामों में 100 प्रतिशत आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था लागू करने का मॉडल प्लान।
3. गैर विद्युतीकृत ग्रामों की सूची।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति।

संबंधित विभाग उपर्युक्त बिन्दुओं पर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक विभाग को भेजना सुनिश्चित कराएंगे तथा एतदर्थ उप सचिव से अन्यून एक नोडल पदाधिकारी मनोनीत करेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(निधि खरे) 9/11/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-16/विविध-04-04/2017 कां०-...../रांची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची/महालेखाकार, झारखंड, रांची/प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, 152, साऊथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली-110011/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, रांची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रांची/सदस्य, राजस्व पंषद्, झारखण्ड, रांची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महाधिवक्ता, झारखंड, रांची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/कार्मिक विभाग के सभी संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव